04.10.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल हो डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2021/57

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.10 17:26:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 193 GCMS/-2021/57 दायर दिनांक : 14.09.2021

1. शंकरदास पुत्र अनदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कुम्भगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादी

बनाम

1. चन्द्रवीर सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत निवासी वार्ड नं. 16 पुराना 29 नया, सन्तोष देवी पार्षद के घर के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
3. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़
3. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या–3

निर्णय दिनांक : 04.10.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 2070 की संयुक्त खाता संख्या 68 नई में खसरा संख्या 322/105 में 6.325 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि शंकरदास पुत्र श्री अनदास जाति स्वामी साकिन कुम्भगढ़, चन्द्रवीर सिंह वल्द हरिसिंह जाति राजपुत सा0 वार्ड संख्या 16, सूरतगढ़ ब0हि0ब0 खातेदार दर्ज [illegible] है। वादपत्र की मद संख्या–02 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या [illegible] द्वारा बनाई गई जमाबंदी में अंकित खसरा संख्या 322/[illegible] वर्तमान के पूर्व दिशा में से रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.10 17:26:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

गुजरता है। इस कारण से जैरवाद भूमि दो भागों में विभक्त है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा अपनी काश्त करने एवं भूमि में आने जाने की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए आपसी सहमति व रजामंदी से संयुक्त खाता में खसरा संख्या 105/2 पुराना व 322/105 वर्तमान की 6.325 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि का अपने हिस्सानुसार बंटवारा काफी वर्षो पूर्व का किया हुआ है। जिसके अनुसार वादी का उक्त खसरा की भूमि में उसका 3.162 हैक्टर उत्तरी पासा बारानी खातेदारी पर कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त खसराकी भूमि में उसका 3.163 हैक्टर दक्षिणी पासा बारानी खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादी द्वारा अपना हिस्सा को कड़ी मेहनत कर काबिल काश्त बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा अपनी भूमि में स्वयं काश्त नही की जाती है। इनके द्वारा वर्षा होने पर अपनी भूमि हिस्सा या ठेका पर देकर काश्त करवाई जा आ रही है। वादी द्वारा आपसी रजामंदी से मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन करवाने हेतु कहा, तो प्रतिवादी संख्या–1 इन्कारी हो गया। इसलिए वादी ने वाद–पत्र प्रस्तुत कर जैरवाद भूमि का उपरोक्तानुसार मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने व राजस्व रकम कायम करने का निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 बाजवुद सूचना उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 15.03.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या–3 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् दिनांक 20.09. 2024 को तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली नियत की गई। वादी शंकरदास ने साक्ष्य में अपना एवं गवाह श्री महावीर सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नही करने पर जिरह शून्य रही। साक्ष्यवादी बंद किये गये तथा प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य नही कराने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये जाकर तर्क सुने गये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में उपलब्ध तरमीमबन्दियों का अवलोकन करवाया तथा दौराने बहस फार्म नं. 3 के साथ पटवारी द्वारा प्रमाणित मौका के कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.10 17:26:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अनुसार नजरी नक्शा पेश किया। जिनमें वाद के कथनानुसार जमाबन्दियों में अंकन है व मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन किये जाने की प्रार्थना की।

बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। यह तथ्य पूर्णरूप से सिद्ध होता है कि तहसील सूरतगढ़ के ग्राम हिन्दौर की राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 2070 की संयुक्त खाता संख्या 68 नई में खसरा संख्या 322/105 में 6.325 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि शंकरदास पुत्र अनदास जाति स्वामी साकिन कुम्भगढ़ व चन्द्रवीर सिंह वल्द हरिसिंह जाति राजपुत सा0 वार्ड नं. 16, सूरतगढ़ ब0हि0ब0 खातेदार अंकित है। यानि उक्त खाता में वादी का 1/2 हिस्सा यानि 3.162 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी ने खसरा संख्या 322/105 की 6.325 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी के नाम से अंकित 1/2 हिस्सा यानि 3.162 हैक्टर बारानी भूमि में इसी खसरा के उत्तरी पासा में वादी के चले आ रहे कब्जा काश्त मुताबिक खाता विभाजन की प्रार्थना की गई है। जिसे मुताबिक दस्तावेज तथा स्वयं वादी व गवाह के शपथ–पत्र से सिद्ध किया है तथा दौराने बहस प्रस्तुत मौका के कब्जा अनुसार नजरी नक्शा से भी साबित है। प्रतिवादी संख्या–1 बाजवुद सूचना उपस्थित नही आया है।

उक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 के नाम से अंकित ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 2070 की संयुक्त खाता संख्या 68 नई में अंकित खसरा संख्या 322/105 की 6.325 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि का, उक्त खसरा के उत्तरी पासा में वादी के मौका पर चले आ रहे कब्जा काश्त अनुसार तथा फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत मौका के कब्जा नजरी नक्शा अनुसार खाता विभाजन वादी के नाम से अलग खाता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन करने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड के नक्शा में तरमीम की जावे। किसी पक्षकार की भूमि रहन है तो उसका अंकन यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **04.10.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.10 17:16:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.शंकरदास पुत्र अनदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कुम्भगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादी

बनाम

1.चन्द्रवीर सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत निवासी वार्ड नं. 16 पुराना 29 नया, सन्तोष देवी पार्षद के घर के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

2.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

3.शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र धारा–53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 193 वर्ष 2021 (GCMS 2021/57) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश कुमार मनचंदा व वकील प्रतिवादी सं. 3 श्री सर्वजीत छाबड़ा तथा राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 के नाम से अंकित ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 2070 की संयुक्त खाता संख्या 68 नई में अंकित खसरा संख्या 322/105 की 6.325 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि का, उक्त खसरा के उत्तरी पासा में वादी के मौका पर चले आ रहे कब्जा काश्त अनुसार तथा फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत मौका के कब्जा नजरी नक्शा अनुसार खाता विभाजन वादी के नाम से अलग खाता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन करने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड के नक्शा में तरमीम की जावे। किसी पक्षकार की भूमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा।

नोज......ग......मुबलिग......ग......बाबत......ग......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......ग...... फस्दों की पालना......ग......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04.10.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.10 17:26:57 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)